देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/44 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 13 मार्च 2021

भाग-1

मिशन मास्टर प्लान

जे.डी.ए. के ज़ोन-4 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 10 विष्णुपुरी, मुख्य जगतपुरा रोड,जयपुर पर बिना अनुमति चल रही व्यवसायिक गतिविधियाँ!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

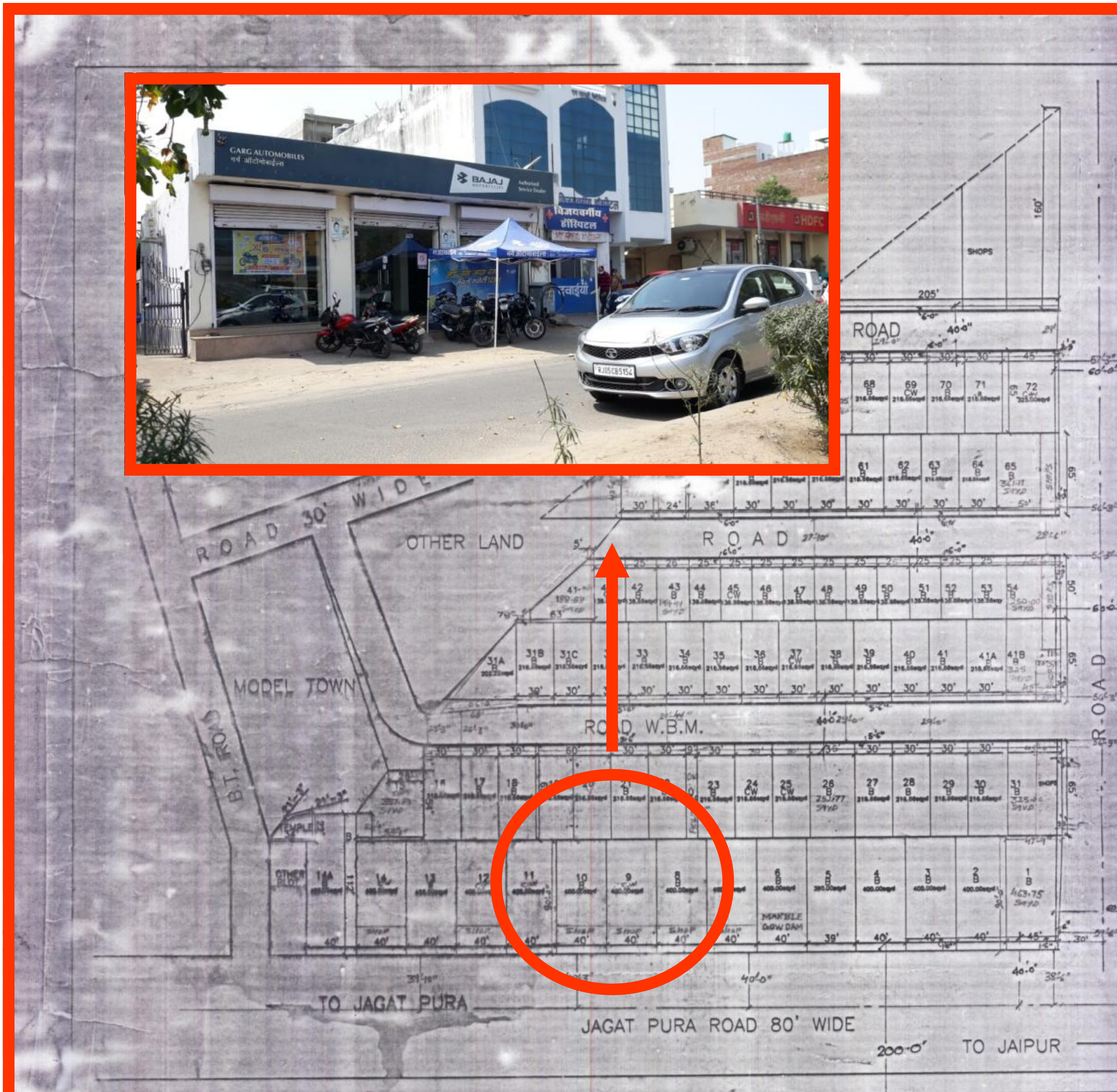
GARG AUTOMOBILES
गर्ग ऑटोमोबाईल्स
BAJAJ
Authorised Service Dealer
विजयवर्गीय हॉस्पिटल
HDFC
ROAD 30' WIDE
OTHER LAND
MODEL TOWN
B.T. ROAD
ROAD
ROAD W.B.M.
SHOPS
TEMPLE
OTHER BLDG.
MARBLE GODOWN
TO JAGAT PURA
JAGAT PURA ROAD 80' WIDE
TO JAIPUR
R O A D
200-0'

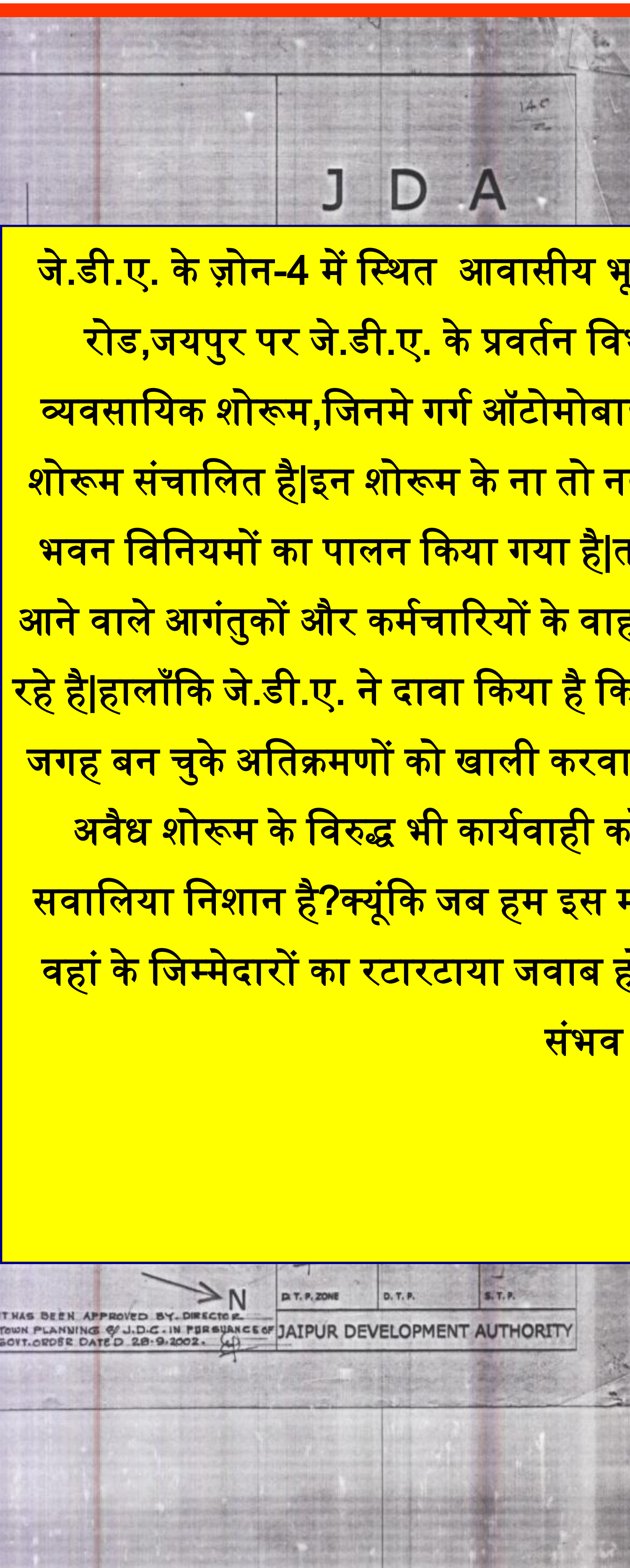

जे.डी.ए. के ज़ोन-4 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 10 विष्णुपुरी,मुख्य जगतपुरा रोड,जयपुर पर जे.डी.ए. के प्रवर्तन विभाग से सांठ-गाँठ कर बन चूका अवैध व्यवसायिक शोरूम,जिनमे गर्ग ऑटोमोबाइल के नाम से बजाज मोटरसाईकिल का शोरूम संचालित है|इन शोरूम के ना तो नक़्शे स्वीकृत है और ना ही इनके निर्माण में भवन विनियमों का पालन किया गया है|तस्वीरों से स्पष्ट है कि इस अवैध शोरूम में आने वाले आगंतुकों और कर्मचारियों के वाहन सड़क पर ही बेतरतीब तरीके से खड़े हो रहे है|हालाँकि जे.डी.ए. ने दावा किया है कि वह व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग की जगह बन चुके अतिक्रमणों को खाली करवाने की मुहीम चलाएगा परन्तु क्या वह इस अवैध शोरूम के विरुद्ध भी कार्यवाही करेगा?यह जे.डी.ए. की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है?क्यूंकि जब हम इस मामले को जे.डी.ए. के संज्ञान में लायेंगे तो वहां के जिम्मेदारों का रटारटाया जवाब होगा कि पुराना निर्माण है,कोई कार्यवाही संभव नहीं|

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	आवासीय भूखंड संख्या 10 विष्णुपुरी ,मुख्य जगतपुरा रोड जयपुर
2.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना अनुमति,बिना नक़्शे पास करवाए बिना भवन विनियमों(बिना सेटबैक बिना पार्किंग) की पालना करवाए ,बिना अनुमति आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन
3.	बिल्डर/सम्बंधित फार्म	गर्ग ऑटोमोबाइल
4.	सम्बंधित ज़ोन	जे.डी.ए. ज़ोन-4
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	प्रवर्तन अधिकारी विनोद जाखड
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	13/03/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नही रोकने वाले लोकसेवको पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियो पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे मे जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले मे 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर मे अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे है। कोर्ट के आदेशो की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जो को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी मे माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले मे कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले मे कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग का सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिकों द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
5. यह मामला हमारे द्वारा जे.डी.ए. के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
6. क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
7. क्या इस अवैध निर्माणों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

*__केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :-__ www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:-S-1, **सेकंड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड, जयपुर** अथवा ईमेल :-jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|*